

व्यापारी का अपहरण करके फिरौती मांगने वाली गैंग का पर्दाफाश

हनीट्रैप के मामले में फंसाने वाले इस गिरोह की शातिर महिला सहित पांच आरोपियों को सोडाला थाना पुलिस ने पकड़ा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सोडाला थाना पुलिस ने हनीट्रैप में फंसाकर व्यापारी का अपहरण करने और पांच लाख रुपए की फिरौती मांगने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर व्यापारी से रुपए वसूलने का प्रयास किया था। पुलिस उपायुक्त (जयपुर दक्षिण) राजर्षि राज ने बताया कि 23 जुलाई को सोडाला थाने में व्यापारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक महिला सहित कुछ लोग उसे दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पांच लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की।

जांच में सामने आया कि गैंग की महिला आरोपी ने खरीदारी के बहाने



सोडाला थाना पुलिस ने हनीट्रैप में फंसाकर व्यापारी का अपहरण करके फिरौती मांगने वाली महिला समेत पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया।

व्यापारी की दुकान पर कई बार जाकर उससे संपर्क बढ़ाया। इसके बाद उसे खादू श्यामजी बुलाया। वहां पहले से

मौजूद उसके साथियों ने व्यापारी के साथ माफ़ीट की और पांच लाख रुपए नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की

■ दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम ँठते थे आरोपी

बताते हुए व्यापारी का अपहरण कर लिया और उसके परिवर्जनों से फोन पर फिरौती की मांग की। पुलिस ने तकनीकी संसाधनों और मुखबिर तंत्र की मदद से व्यापारी को सवाई माधोपुर से सकुशल बरामद कर लिया।

पुलिस जांच में मामला हनीट्रैप का सामने आया। इसके बाद पुलिस ने दिनेश बाई उर्फ अनुष्का मीना उर्फ छोटा, अशोक मीना, रजनेश मीना, राजेंद्र कुमार मीना और मोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लिया ला रहा है। उनसे पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एसीबी ने रिश्वत मामले में संयुक्त आयुक्त के खिलाफ न्यायालय में पेश किया चालान

3 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे राजीव गर्ग

जयपुर (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वत मामले में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र प्रतापगढ़ के तत्कालीन संयुक्त आयुक्त एवं महाप्रबंधक राजीव गर्ग के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया है। आरोपी को एसीबी प्रतापगढ़ ने वर्ष 2024 में 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

एसीबी चौकी राजसमंद के प्रभारी

अधिकारी हिम्मत चारण के अनुसार आरोपी राजीव गर्ग ने लोक सेवक रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर परिवारी के 7वें वेंतनमान का स्थिरीकरण, पेंशन प्रकरण का भुगतान और एरियर जारी करने की एवज में 30 जुलाई 2024 को 3 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद 3 अगस्त 2024 को रिश्वत राशि लेते हुए एसीबी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस

मामले में अपराध संख्या 164/2024 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 में प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले का अनुसंधान एसीबी राजसमंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण ने 5 अगस्त 2026 को आरोपी राजीव गर्ग के विरुद्ध विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय, प्रतापगढ़ में चालान पेश किया।

16 मार्च 2026 प्राप्त हुई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के उप महानिरीक्षक पुलिस डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में एसीबी चौकी राजसमंद के प्रभारी अधिकारी हिम्मत चारण ने 5 अगस्त 2026 को आरोपी राजीव गर्ग के विरुद्ध विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय, प्रतापगढ़ में चालान पेश किया।

राजस्थान के हर जिले में बनेगा ‘आत्मनिर्भर गांव’

जयपुर । भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से 100 दिवसीय कार्ययोजना तैयार की है। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश चौधरी ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक गांव को कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में ‘आत्मनिर्भर गांव’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों में प्राकृतिक एवं जैविक खेती, गौ-आधारित कृषि, आधुनिक तकनीक और स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। एफपीओ और सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बाजार से जोड़कर उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने का प्रयास होगा। चौधरी ने बताया कि आगामी 100 दिनों में हर गांव और ढाणी में किसान

राजस्थान का आदिवासी अंचल बना ‘लेक्रोस’ का राष्ट्रीय केंद्र

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान मिल रही है। दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी अंचल “लेक्रोस” के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभर रहा है। विश्वस्तरीय मैदान, आधुनिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञ प्रशिक्षकों और खेल सुविधाओं से खिलाड़ी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल कर रहे हैं।

तृतीय राष्ट्रीय लेक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र के 55 खिलाड़ियों ने छह वर्गों में हिस्सा लेकर 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते। वहीं जून 2024 में उज्बेकिस्तान में आयोजित

एशियन महिला लेक्रोस चैंपियनशिप में राजस्थान की खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के साथ रजत पदक हासिल किया। फरवरी 2026 में रियाद में आयोजित एशियन लेक्रोस गेम्स में प्रदेश के अतिसंधान एसीबी राजसमंद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत चारण ने 5 अगस्त 2026 को आरोपी राजीव गर्ग के विरुद्ध विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय, प्रतापगढ़ में चालान पेश किया।

73 गिरफ्तारी वारंटों में वांछित स्थायी वारंटी गिरफ्तार

जयपुर। नाहरगढ़ थाना पुलिस ने वांछित एवं फरार अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 73 गिरफ्तारी वारंटों में वांछित स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ पारिवारिक न्यायालय क्रम-1 (जयपुर महानगर प्रथम) की ओर से कुड़की व वसुली के कुल 73 वारंट जारी किए गए थे।

पुलिस उपायुक्त (जयपुर उत्तर) करण शर्मा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय राजस्थान के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नाहरगढ़ थानाधिकारी सज्जन कुमार को टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने लगातार सूचना संकलन और तकनीकी साधनों की मदद से आरोपी के छिपने के स्थानों का पता लगाया। इसके बाद दबिश देकर आरोपी सुलेमान खां निवासी पठानों का चौक नाहरगढ़ जयपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, पत्नी एवं पारिवारिक पक्ष को भरण-पोषण की राशि का भुगतान नहीं करने से न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए 73 गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

को गिरफ्तार किया। इस वही दूसरी कार्रवाई करघनी थाना क्षेत्र में की गई। सीएसटी और करघनी थाना पुलिस ने कच्ची बस्ती यादवों की ढाणी से 7 नंबर बस स्टैंड जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध युवक की घेराबंदी कर तलाशी ली। उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई।

पुलिस ने आरोपी विनय जायसवाल (25) निवासी करघनी जयपुर को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस आरोपियों से अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त और इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

■ आरोपियों के कब्जे से 2 देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद

पर की गई। पहली कार्रवाई नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में की गई। जहां सीएसटी और नाहरगढ़ थाना पुलिस की टीम ने ब्रह्मपुरी रोड स्थित सैनी जूट सेंटर के पास संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली। इस दौरान आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी संजय सैनी (42) निवासी ब्रह्मपुरी रोड नाहरगढ़ जयपुर

दो हथियार तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े

जयपुर। जयपुर शहर में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) टीम ने नाहरगढ़ और करघनी थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो देसी पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपितों से पूछताछ करने में जुटी है।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) संजीव नैन ने बताया कि सीएसटी टीम द्वारा विकसित की गई सूचना के आधार

होटल खंडेला पैलेस में जुए का भंडाफोड़, संचालक सहित छह आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों के कब्जे से 21 हजार 580 रुपए और ताश के पत्ते बरामद

जयपुर। सिंधी कैप थाना पुलिस ने बनीपाक स्थित होटल खंडेला पैलेस में चल रहे जुए के अड्डे का पर्दाफाश करते हुए पांच जुआरियों सहित होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 21 हजार 580 रुपए की जुआ राशि और 52 ताश के पत्ते बरामद किए हैं।

पुलिस उपायुक्त (जयपुर पश्चिम) प्रशांत किरण ने बताया कि होटलों में संचालित अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सिंधी कैप थानाधिकारी वंदना नरुला के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। पुलिस को जनसहभागिता शिबिर के दौरान सूचना मिली थी कि शिव मार्ग

बनीपाक स्थित होटल खंडेला पैलेस में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। सूचना के बाद पुलिस ने होटल पर गिरावनी रखी। 5 अगस्त को कमरा नंबर 105 में जुआ खेले जाने की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने दबिश देकर पांच जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया कि होटल को लीज पर लेकर संचालित कर रहा भागचंद जुआ खेले वालों से प्रति रात 2 हजार रुपए लेकर कमरा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपी भागचंद को एक दिन

पहले ही 4 अगस्त को होटल में अवैध गतिविधियों के मामले में धारा 170 बीएनएसएस के तहत आरिफ (35) निवासी मदीना कॉलोनी, झोटवाड़ा, मोहम्मद वकाती (31) निवासी लंकापुरी, भट्टाबस्ती, नदीम (35) निवासी उद्योग नगर, झोटवाड़ा, आरिफ शेख (33) निवासी नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, इमरान (33) निवासी जेपी कॉलोनी, शास्त्री नगर और होटल संचालक भागचंद (49) निवासी बडौली, लक्ष्मणगढ़ (अलवर), हाल संचालक होटल खंडेला पैलेस बनीपाक को गिरफ्तार किया।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रभावी उपयोग से योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं : राकेश शर्मा

डीआईपीआर आयुक्त ने की प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार कार्यों की समीक्षा

जयपुर (कासं)। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त राकेश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ सभी सुनिश्चित होगा, जब उनकी जानकारी समयबद्ध तरीके से प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी जिला जनसम्पर्क अधिकारी प्रचार-प्रसार की नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर डिजिटल एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सतत एवं प्रभावी उपयोग करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी अधिकधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि इन

प्लेटफॉर्म पर सूचनाएं रुचिकर और प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत की जाएं। आयुक्त शर्मा ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला जनसम्पर्क अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियों की समीक्षा के दौरान यह बात कही। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीसी के बाद डीआईपीआर मुख्यालय में विभिन्न विभागों में प्रति नियुक्ति पर कार्यरत डीआईपीआर अधिकारियों की भी बैठक की। जनसंपर्क आयुक्त ने कहा कि

डीआईपीआर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विभागों के सोशल मीडिया हैंडल्स एवं पेजेज के बीच कोलैब्रेशन करते हुए उनकी रीच बढ़ाने के लिए समन्वय कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में विभागीय एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार अपनाए जाएं, ताकि उनकी जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलों एवं विभिन्न विभागों के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ-साथ

व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से भी योजनाओं एवं विकास कार्यों की सूचनाओं का नियमित और व्यापक प्रसार किया जाए। साथ ही डिजिटल वॉल पेंटिंग्स, होर्डिंग्स तथा अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए ग्राम पंचायत स्तर तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिला अधिकारी जिला प्रशासन से समन्वय करते हुए प्रचार प्रसार से संबंधित गतिविधियों की अपने क्षेत्र में प्रभावी मॉनिटरिंग करें। शर्मा ने कहा कि विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित नागरिकों को प्रेरक सफलता की कहानियों का

आधिकारिक संकलन एवं प्रकाशन किया जाए। इससे आमजन में योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और पात्र व्यक्तियों को उनका लाभ लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी। बैठक में डीआईपीआर मुख्यालय पर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) डॉ. गोरधन शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सूजन) नर्बदा इंदौरिया, वित्तीय सलाहकार कौशल्या सांकृत्यत तथा संयुक्त निदेशक मनमोहन हर्ष, जसराम मोषा एवं रजनीश शर्मा, उपनिदेशक कुमार अजय तथा सहायक निदेशक पूनम खण्डेलवाल सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

‘जमानत से जुड़े मामले में अत्यधिक गहराई में जाने से बचे हाईकोर्ट’

सुप्रीम कोर्ट ने निजी खातेदारी की आवासीय योजना “नृसिंह ओरकेड” को लेकर जयपुर के रामनगरिया पुलिस थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को जमानत दी

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर । सुप्रीम कोर्ट ने निजी खातेदारी की आवासीय योजना नृसिंह ओरकेड को लेकर शहर के रामनगरिया पुलिस थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के गत 23 अप्रैल के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने प्रार्थी को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है, उस पर लगाए आरोप के अपराध की ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा होनी है। हमारा मानना है कि हाईकोर्ट ने अपीलार्थी पर लगाए गए आरोपों पर जरूरत से ज्यादा गहराई से विचार किया है, जिससे हाईकोर्ट को बचना चाहिए था। इसलिए अपीलार्थी को जमानत देना उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश श्यामलाल मोषा की एसएलपी को मंजूर करते हुए दिए।

अपीलार्थी के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि आरोपी के पिता एवं दादी की कथित जिम्मेदारी उस पर नहीं डाली जा सकती। यदि किसी ने खरीदारों के साथ धोखा किया है तो वह हाउसिंग सोसायटी है, न कि खातेदारा मौजूदा मामले में जांच पूरी होकर चालान पेश हो चुका है, लेकिन आरोप तय नहीं हुए हैं।

अपीलार्थी 4 नवंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है, उसे जमानत पर रिहा किया जाए। वहीं राज्य सरकार व शिकायतकर्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। जिस पर

सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

मामले में अनुसार श्याम लाल मोषा के खिलाफ रामनगरिया पुलिस थाने में साल 2022 में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी और अन्य धाराओं के तहत दो एफआईआर दर्ज हुई थीं। उस पर आरोप है कि उसके पिता एवं दादी सहित अन्य खातेदारों ने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के जरिए भूमि एक हाउसिंग सोसायटी को बेची थी। हाउसिंग सोसायटी ने बाद में जमीन कई खरीदारों को बेच दी। खसदारी का आरोप था कि जमीन की कीमत मुगलान करने पर भी उन्हें भूखंडों का कब्जा नहीं मिला है और आरोपी ने धोखाधड़ी के लिए जाली दस्तावेज बनाए।

जयपुर में 12-13 अगस्त को होने वाली ब्रिक्स देशों की बैठक की तैयारियों पर मंथन

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सुरक्षा, यातायात, प्रोटोकॉल, आवास और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली



मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को समन्वय समिति की बैठक ली।

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में 12 एवं 13 अगस्त को जयपुर में होने वाली ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित हुई। इसमें सुरक्षा, यातायात, प्रोटोकॉल, आवास और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को

आपसी समन्वय से व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की सुरक्षा, आवागमन और आवास में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडलों के आवागमन के लिए बसों के अधिकतम उपयोग और आमजन को यातायात संबंधी असुविधा नहीं होने

देने पर जोर दिया। मानसून को देखते हुए जलभराव सहित संभावित परिस्थितियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं पहले से तैयार रखने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने अतिथियों को राजस्थान की कला, संस्कृति और पारंपरिक आतिथ्य से परिचित कराने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्मृति-चिह्न उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत को प्राथमिकता दें : दिया कुमारी



उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक हुई।

जयपुर । उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभिन्न योजनाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत, पेयजल, बिजली और शौचालय सुविधाएं प्राथमिकता से सुनिश्चित करने

के निर्देश दिए। उन्होंने प्री-फैब्रिकेटेड कार्य सीएसआर के माध्यम से कराने तथा बजट घोषणाओं को समयबद्ध पूरा करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का कवरेज बढ़ाने, पोषण ट्रेकर के सूचकांकों में सुधार और आवंटित बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लाडो प्रोत्साहन योजना की

तीसरी किस्त सहित सभी किस्तों का समय पर भुगतान, वन स्टॉप सेंटर की प्रभावी निगरानी तथा कालीबाई भील उड्डान योजना के तहत सेनेटेरी पैड वितरण सुचारु करने पर भी जोर दिया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण और शिक्षा की नींव है, इसलिए इनके भवनों की सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना प्राथमिकता है।

उद्योग मंत्री 7 अगस्त को करेंगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का उद्घाटन

जयपुर । उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठोड़ 7 अगस्त को जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। समारोह में राज्य के चयनित बुनकरों को राज्य स्तरीय बुनकर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

जवाहर कला केंद्र में 7 से 9 अगस्त तक हथकरघा प्रदर्शनी लगेगी, जिसमें करीब 60 स्टॉल पर कोटा डोरिया, पट्ट, खेस, दरियों, वेडशीट, शॉल, ऊनी वस्त्र, दुपट्टे, गृह सज्जा सामग्री सहित विभिन्न हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होगा। प्रदर्शनी में हथकरघा प्रौद्योगिकी पर आधारित थीम पवेलियन भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसमें पारंपरिक हथकरघा उपकरणों और हस्तनिर्मित वस्त्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। समारोह में उत्कृष्ट शिल्प के लिए प्रथम पुरस्कार जालोर के कानाराम, द्वितीय नागरिक के सोहनराम और तृतीय पुरस्कार झालावाड़ की धांपवाई को प्रदान किया जाएगा। दो बुनकरों को सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। राजस्थान कोटा डोरिया, पट्ट, खेस, दरियों, जाजम और सांगानरी-बगरू प्रिंटेड वस्त्रों सहित विविध हथकरघा उत्पादों के लिए देशभर में पहचान रखता है।